(6)

पुनरीक्षण ...

R 2290-II/06

अपीलार्थीगण :

1. **जगदीश प्रसाद पालीवाल**, पिता छोटे लाल पा
आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी कटंगी वार्ड
कृषक साकिन पाथ खाड़ा, तहसील कटंगी,
बालाघाट (म0प्र0)

2. **दिनेश कुमार तिवारी**, आयु लगभग
पिता महादेव प्रसाद तिवारी, जाति ब्राम्हण
वार्ड नं.14, कटंगी, तहसील कटंगी, जिल
(म0प्र0)

श्री विवेक मिश्रा एडवोकेट
द्वारा आज दि० 11-12-06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरूद्ध

उत्तरवादी :

श्रीमती मनीदेवी, आयु लगभग 50 साल, पति
खंडेलवाल, निवासी कटंगी वार्ड नं.15, कृष
अर्जुन नाला (कटंगी) प0ह0नं010, रा0नि0मं0
कटंगी, जिला बालाघाट (म0प्र0)

57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–बालाघाट

प्रकरण कमांक निगरानी 2290–दो / 2006

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.03.2015	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 29–06–12 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 18–03–2015 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 29–06–12 से 18–03–15 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 18–03–2015 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2006 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	